

श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस

जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
फोन नं. : 91-11-23363729,23365420 / फैक्स नं. : 91-11-23344380 /
ई-मेल : aissjc1906@gmail.com

जैन कॉन्फ्रेंस के ज़ोन एक '1' से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद (2021-2023) एवं 14 प्रांतों से 14 प्रांतीय अध्यक्ष पद तथा 173 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद हेतु चुनाव प्रक्रिया संबंधित नियम-उपनियम
कार्यकाल : 2021-2023

राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यता हेतु
अखिल भारतीय सरपर चुनाव रविवार, दिनांक – 16 मई 2021

01. राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यों हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार सदस्यों का चुनाव प्रांतीय स्तर पर चुनावी कार्यक्रमानुसार राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी/राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी की निगरानी में राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्येक ज़ोन/प्रांत में करवायें जायेंगे एवं चुनाव परिणाम निर्धारित समयानुसार घोषित कर दिये जायेंगे । चुनाव जैन कॉन्फ्रेंस के सभी आजीवन सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से होगा । किसी भी विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय चुनाव समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

02. सभी ज़ोन-क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिये जाने की दृष्टि से प्रांतों का निम्न वर्गीकरण किया गया है :

- (1) प्रथम ज़ोन-प्रांत : (i) कर्नाटक
(ii) आंध्र प्रदेश व तेलंगाना
(iii) तमिलनाडु, केरल, पॉडिचेरी व अंदमान-निकोबार
- (2) द्वितीय ज़ोन-प्रांत : (i) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व लेह-लद्दाख

- (ii) हरियाणा व चण्डीगढ़
 (iii) उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड
 (iv) दिल्ली
- (3) तृतीय ज़ोन-प्रांत : (i) राजस्थान
 (ii) मध्य प्रदेश
 (iii) छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड व उड़ीसा
 (iv) पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा, व मेघालय
- (4) चतुर्थ ज़ोन-प्रांत : (i) महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे, गोवा, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी एवं पालघर जिला छोड़कर)
- (5) पंचम ज़ोन-प्रांत : (i) मुंबई, पुणे, गोवा, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी व पालघर जिला।
 (ii) गुजरात व दमन-दीव

03. जैन कॉन्फ्रेंस के संविधान, नियम-उपनियमों के अनुसार प्रथम ज़ोन क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अदमान-निकोबार) के आजीवन सदस्य ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भर सकते हैं, तथा संबंधित प्रांत के आजीवन सदस्य ही संबंधित प्रांतीय अध्यक्ष पद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं। यदि किसी आजीवन सदस्य का ज़ोन स्थानांतरित होता है तो, उस आजीवन सदस्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी के लिये जरूरी वैधानिक योग्यताएं वर्तमान ज़ोन से ही पूरी करनी होगी। उस आजीवन सदस्य की पूर्व ज़ोन की वैधानिक योग्यताएं वर्तमान ज़ोन में लागू नहीं होगी। आधार कार्ड में जो पता अंकित है उस ज़ोन से ही वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बन सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क (Nomination Fees) जमा की रसिद एवं आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य है एवं नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय मूल (Original) आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है।

04. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी को तीन (3) कार्यकाल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में या दो (2) कार्यकाल का राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त हुआ होना आवश्यक है और वे ही सदस्य इसकी पात्रता धारण कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उन्ही प्रत्याशियों में से होगा जिन्होंने नामांकन पत्र भरे हैं और जिनके

नामांकन पत्र वैध हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र भरते समय नामांकन पत्र पर दो (2) प्रस्तावकों व दो (2) समर्थकों के हस्ताक्षर होने चाहिए और वे सदस्य वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य होने चाहिए। प्रस्तावक एवं समर्थक केवल एक प्रत्याशी के नाम की ही प्रस्तावना या समर्थन कर सकेंगे।

05. प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी को दो (2) कार्यकाल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में या तीन (3) कार्यकाल का प्रांतीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य के रूप में अनुभव प्राप्त हुआ होना चाहिए या (1) कार्यकाल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में या दो (2) कार्यकाल का प्रांतीय कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त हुआ होना चाहिए और वे ही सदस्य जो उपरोक्त योग्यताएं धारक हैं, प्रांतीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बन सकते हैं।

प्रांतीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र (2) प्रस्तावकों एवं (2) समर्थकों के हस्ताक्षर से युक्त होना चाहिए और वे सदस्य वर्तमान प्रांतीय/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य होने चाहिए। प्रस्तावक एवं समर्थक केवल एक प्रत्याशी के नाम की ही प्रस्तावना या समर्थन कर सकेंगे। आधार कार्ड में जो पता अंकित है उस प्रांत से ही वे प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिये प्रत्याशी बन सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क (Nomination Fees) जमा की रसिद, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य हैं एवं नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय मूल (Original) आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है। प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव उन्हीं प्रत्याशियों में से होगा जिन्होंने नामांकन पत्र भरे हैं और जिनके नामांकन पत्र वैध हैं। यदि किसी आजीवन सदस्य का प्रांत स्थानांतरित होता है तो उस सदस्य को प्रांतीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद के प्रत्याशी के लिये वैधानिक योग्यताएं वर्तमान प्रांत से ही पूरी करनी होंगी। उस सदस्य की पूर्व प्रांत की वैधानिक योग्यताएं वर्तमान प्रांत में लागू नहीं होंगी। अगर किसी प्रांत का विभाजन होता है तो, नये प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद के लिये प्रत्याशी को पूर्व प्रांत की वैधानिक योग्यताएं लागू होंगी।

06. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य बनने हेतु राष्ट्रीय/प्रांतीय कार्यकारिणी समिति सदस्य या राष्ट्रीय/प्रांतीय युवा कार्यकारिणी समिति सदस्य या राष्ट्रीय/प्रांतीय महिला कार्यकारिणी समिति सदस्या/विभिन्न योजनाओं के राष्ट्रीय/प्रांतीय कार्यकारिणी समिति सदस्य के रूप में एक (1) कार्यकाल का अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है और उपर्युक्त योग्यता प्राप्त आजीवन सदस्य ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हेतु नामांकन पत्र भर सकते हैं। नामांकन पत्र पर एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रस्तावक एवं समर्थक वर्तमान राष्ट्रीय या प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य होने चाहिए। वे निर्धारित प्रतिनिधित्व संख्या तक प्रत्याशी के नाम की प्रस्तावना या समर्थन कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार हैं वे स्वयं के अलावा शेष प्रतिनिधित्व संख्या के लिये प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है। आधार कार्ड में जो पता अंकित है उस प्रांत से ही वे

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी बन सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क (Nomination Fees) जमा की रसिद, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य हैं एवं नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय मूल (Original) आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है।

07. प्रत्येक ज़ोन/प्रांत से संविधान, नियम-उपनियमों के तहत निर्वाचित होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से रहेगी –

प्रथम ज़ोन – प्रांत

कर्नाटक	–	(13) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (14)
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	–	(03) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (04)
तमिलनाडु, केरल, पॉडिचेरी, व अदंमान-निकोबार	–	(12) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (13)

द्वितीय ज़ोन – प्रांत

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, व लेह लद्दाख,	–	(14) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (15)
हरियाणा, चण्डीगढ़	–	(06) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (07)
उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड सहित दिल्ली	–	(05) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (06)
	–	(16) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (17)

तृतीय ज़ोन – प्रांत

राजस्थान	–	(14) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (15)
मध्य प्रदेश	–	(09) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (10)
छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड व उड़ीसा	–	केवल प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (01)

पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा व मेघालय	–	केवल प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (01)
--	---	----------------------------------

चतुर्थ ज़ोन – प्रांत

महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे, गोवा, ठाणे,
रायगढ, रत्नागिरी, व पालघर
जिला छोड़कर) – (38) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (39)

पंचम ज़ोन – प्रांत

मुंबई, पुणे, गोवा, ठाणे, रायगढ,
रत्नागिरी व पालघर जिला – (31) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (32)
गुजरात व दमन-दीव – (12) तथा (01) प्रांतीय अध्यक्ष – कुल (13)

08. नामांकन-पत्र निम्न निर्धारित राशि देकर निर्धारित दिनांक एवं स्थान से प्राप्त कर सकते हैं –

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन-पत्र की राशि : रु. 51,000/- (Non-Refundable)

प्रांतीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन-पत्र की राशि : रु. 11,000/- (Non-Refundable)

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हेतु नामांकन-पत्र की राशि : रु. 3,100/-

(Non-Refundable)

उपरोक्त राशि RTGS/ड्राफ्ट : Shri All India S.S.Jain Conference के नाम से नई दिल्ली शाखा पर देय देकर संबंधित पदों हेतु नामांकन-पत्र लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र जैन कॉन्फ्रेंस के रजिस्टर्ड कार्यालय, जैन भवन, नई दिल्ली – 110 001 से प्राप्त होंगे। प्रांतीय अध्यक्ष पद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हेतु नामांकन पत्र संबंधित प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय महामंत्री या प्रांतीय चुनाव अधिकारी या प्रांतीय सह चुनाव अधिकारी या राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास प्राप्त होंगे।

बैंक अकाउंट का विवरण निम्नलिखित है,

Shri All India S. S. Jain Conference , Bank : Central Bank of India

Account Number - 1026325740 , IFSC : CBIN0280303

Branch : Gole Market, New Delhi

09. संबंधित पदों के लिए निर्धारित की गई नामांकन शुल्क (Filing Fee) निम्न प्रकार से रहेगी –

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु – रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र)

प्रांतीय अध्यक्ष पद हेतु – रु. 71,000/- (रु. ईकहतर हजार मात्र)

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हेतु – रु. 21,000/- (रु. इक्कीस हजार मात्र)

उपरोक्त राशि RTGS / ड्राफ्ट : Shri All India S. S. Jain Conference के नाम से नई दिल्ली शाखा पर देय, नामांकन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र वापसी के

निर्धारित समय तक नाम वापस ले लेने पर नामांकन शुल्क राशि 25% काट कर चेक द्वारा लौटा दी जाएगी। नामांकन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साईज फोटो देना आवश्यक होगा। वही प्राप्त फोटो मतपत्र पर छापा जाएगा।

बैंक अकाउंट का विवरण निम्नलिखित है,

Shri All India S. S. Jain Conference , Bank : Central Bank of India

Account Number - 1026325740 , IFSC : CBIN0280303

Branch : Gole Market, New Delhi

10. प्रत्याशी यदि एक पद के लिए एक से अतिरिक्त नामांकन-पत्र देता है तो, नामांकन-शुल्क राशि (Nomination Fees) एक ही बार देय होगी। अतिरिक्त नामांकन-पत्र में उसी बैंक ड्राफ्ट का उल्लेख किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट की फोटो कॉपी अतिरिक्त नामांकन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। प्रत्येक नामांकन पत्र पर प्रस्तावक व समर्थक अलग-अलग होना अनिवार्य हैं।

11. नामांकन-पत्र जिस सदस्य के नाम से जारी किया गया है वह नामांकन-पत्र नामांकित सदस्य के लिये ही वैध होगा।

12. राष्ट्रीय/प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनने हेतु आजीवन सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी आवश्यक है।

13. चुनावों के लिए निर्धारित स्थानों का निर्णय राष्ट्रीय चुनाव समिति करेगी। स्थानों के निर्णय हेतु राष्ट्रीय चुनाव समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

14. 01 अप्रैल 2021 से केन्द्रीय रजिस्टर्ड कार्यालय में मतदाता सूची अवलोकनार्थ रखेंगे। इसकी एक प्रति प्रांतीय अध्यक्षों को भेजी जाएगी जिसे वे प्रांतीय कार्यालय में अवलोकनार्थ रखेंगे। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन हो तो 26 अप्रैल 2021 तक उसमें सुधार किया जा सकता है।

15. 05 मई 2021 सायं 4:00 बजे तक कोई भी सदस्य रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार केवल) निर्धारित शुल्क राशि देकर मतदाता सूची की सी. डी. / पैन ड्राइव (CD / Pen Drive) रजिस्टर्ड कार्यालय, जैन भवन नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं।

16. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र शुक्रवार, 02 अप्रैल 2021 से मंगलवार, 06 अप्रैल 2021 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक जैन भवन, नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं।

17. प्रांतीय अध्यक्ष पद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद हेतु नामांकन पत्र शुक्रवार, 02 अप्रैल 2021 से मंगलवार, 06 अप्रैल 2021 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय महामंत्री या प्रांतीय चुनाव अधिकारी या प्रांतीय सह चुनाव अधिकारी या राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास प्राप्त कर सकते हैं।

18. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र, शुक्रवार, 09 अप्रैल 2021 से बुधवार, 14 अप्रैल 2021 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक, उम्मीदवार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रजिस्टर्ड कार्यालय—जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली— 110 001 में राष्ट्रीय महामंत्री/ राष्ट्रीय मंत्री/राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी/राष्ट्रीय सह-चुनाव अधिकारी के समक्ष दोनो प्रस्तावकों व समर्थकों सहित कुल 11 व्यक्तियों (अधिकतम) के साथ आकर प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय कार्यालय द्वारा नामांकन पत्र प्राप्ति की रसिद जारी की जायेगी।

19. प्रांतीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र, शुक्रवार, 09 अप्रैल 2021 से बुधवार, 14 अप्रैल 2021 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक, उम्मीदवार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रांतीय चुनाव अधिकारी या प्रांतीय सह-चुनाव अधिकारी या राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्र प्राप्ति की रसिद वे जारी करेंगे।

20. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हेतु नामांकन पत्र, शुक्रवार, 09 अप्रैल 2021 से बुधवार, 14 अप्रैल 2021 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक, उम्मीदवार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रांतीय चुनाव अधिकारी या प्रांतीय सह-चुनाव अधिकारी या राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्र प्राप्ति की रसिद वे जारी करेंगे।

21. प्राप्त हुए नामांकन पत्रों की जाँच गुरुवार, 15 अप्रैल 2021 एवं शुक्रवार, 16 अप्रैल 2021 को सायं 4:00 बजे तक राष्ट्रीय चुनाव समिति एवं प्रांतीय चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी।

22. नामांकन पत्र जाँच के पश्चात् वैध प्रत्याशियों की सूची (राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु) शनिवार, 17 अप्रैल 2021 दोपहर 2:00 बजे रजिस्टर्ड कार्यालय— श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली— 110 001 में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

23. नामांकन पत्र जाँच के पश्चात् वैध प्रत्याशियों की सूची (प्रांतीय अध्यक्ष पद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद हेतु) शनिवार, 17 अप्रैल 2021 दोपहर 4:00 बजे रजिस्टर्ड कार्यालय— श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली— 110 001 तथा संबंधित प्रांत में राष्ट्रीय चुनाव समिति

द्वारा अधिकृत स्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

24. नामांकन पत्र के संदर्भ में शिकायत सोमवार, 19 अप्रैल 2021 सायं 4:00 बजे तक राष्ट्रीय चुनाव समिति, जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110 001 कार्यालय में लिखित रूप में या निम्नलिखित ई-मेल द्वारा- ecjainconf2021@gmail.com पर कर सकते हैं।

25. अगर कोई शिकायत आती है तो राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा बुधवार, 21.04.2021 एवं गुरुवार, 22.04.2021 को निर्धारित किये गये समयानुसार सुनवाई करेगी एवं उस शिकायत पर अपना निर्णय गुरुवार, 22.04.2021 सायं 04:00 बजे तक प्रदान करेगी ।

26. नामांकन पत्र वापसी शुक्रवार, 23 अप्रैल 2021 से मंगलवार, 27 अप्रैल 2021 सायं 4:00 बजे तक (1) राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी/राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी जैन भवन, 12, शहीद भगत सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110 001, (2) प्रांतीय चुनाव अधिकारी प्रांतीय सह चुनाव अधिकारी, (3) राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास प्रस्तुत कर सकते है।

27. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव हेतु प्रत्याशियों की अंतिम सूची मंगलवार, 27 अप्रैल 2021 सायं 5:00 बजे से रजिस्टर्ड कार्यालय- श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110 001 में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

28. प्रांतीय अध्यक्ष पद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद चुनाव हेतु प्रत्याशियों की अंतिम सूची मंगलवार, 27 अप्रैल 2021 सायं 6:00 बजे से रजिस्टर्ड कार्यालय- श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110 001 तथा संबंधित प्रांत में राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा अधिकृत स्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

29. मतदान यदि आवश्यक हुआ तो रविवार, 16 मई 2021 को प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक, राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रांतों में निर्धारित मतदान केन्द्रों पर संपन्न करवाये जायेंगे। मतदान केन्द्र पर सायं 5:00 बजे तक उपस्थित मतदाताओं को मतदान का अधिकार रहेगा। मतदान पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित मतदान केन्द्रों पर मत गणना शुरु की जाएगी। मतगणना समाप्ती के पश्चात् राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।

30. निर्धारित राष्ट्रीय / प्रांतीय पदों के लिए जहां चुनाव होना है, वहां मतदाता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक, प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए एक और प्रांतीय सदस्यों में से राष्ट्रीय

कार्यकारिणी समिति सदस्यों के लिए निर्धारित व्यक्ति चुनने हेतु, आवश्यकतानुसार मतपत्र दिये जायेंगे। मतदाताओं को उन मतपत्र पर ही मतदान करना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य के लिए उस प्रांत से जितने सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के लिए नियमानुसार निर्धारित हैं उतनी संख्या तक या उससे कम संख्या तक मतदान करते हैं तो वह मतपत्र वैध होगा। यदि मतदाता उस संख्या से अधिक मत डालता है तो वह मतपत्र अवैध माना जायेगा। मतपत्र (बैलेट पेपर) पर किसी तरह की मार्किंग, हाथ से नाम लिखना या हस्ताक्षर करने पर मतपत्र अवैध माना जाएगा। मतपत्र (बैलेट पेपर) पर एक प्रत्याशी के सामने एक ही मुहर लगानी है।

31. चुनाव प्रक्रिया/मतदान के समय किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है या कोई शिकायत /आपत्ति आती है, तो संबंधित प्रांतीय चुनाव अधिकारी तुरंत जाँच करके राष्ट्रीय चुनाव समिति को तत्काल सूचित करेंगे। राष्ट्रीय चुनाव समिति का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन किसी भी कारण से मतदान नहीं रुकेगा।

32. मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने पर संबंधित राष्ट्रीय/प्रांतीय चुनाव अधिकारी घोषित कार्यक्रमानुसार प्रत्याशी या उसके एक नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष मतगणना करेंगे। जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसे अपने प्रत्याशी द्वारा दिया गया फोटो युक्त नियुक्ति-पत्र मतगणना से पूर्व संबंधित राष्ट्रीय/प्रांतीय चुनाव अधिकारी को देना होगा। मतगणना निर्धारित प्रांतीय मतदान केन्द्रों पर होगी। प्रत्याशी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि जैन कॉन्फ्रेंस का आजीवन सदस्य होना अनिवार्य है।

33. मतगणना सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होगी, उसके तुरंत बाद प्रांतीय चुनाव अधिकारी उस गणना की रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनाव समिति को जैन कॉन्फ्रेंस के रजिस्टर्ड कार्यालय, जैन भवन, नई दिल्ली को फैक्स/ई-मेल/एस.एम.एस. द्वारा देनी होगी। उसके बाद ही प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य की मतगणना होगी।

34. नामांकन पत्र वापसी की तिथि के पश्चात् यदि प्रत्याशियों में कोई आपसी समझौता होता है तो भी मतदान अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र वापसी की तिथि के पश्चात् यदि उनमें कोई आपसी समझौता होता है या कोई एक प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी के पक्ष में अपना नामांकन समर्पित करता है तो मतदान में समर्पण करने वाले प्रत्याशी को मिलने वाले वोटों को किसी भी स्थिति में किसी भी प्रत्याशी की मत संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा।

35. चुनाव प्रक्रिया के दरमियान किसी समय ईश्वर ना करे यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी प्रांतीय चुनाव अधिकारी लिखित रूप में राष्ट्रीय चुनाव समिति को देंगे। यदि किसी भी पद के चुनाव में दो से अधिक प्रत्याशी हैं और उन प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो शेष प्रत्याशियों में से चुनाव घोषित कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होंगे

। किन्तु यदि किसी पद के लिये दो ही प्रत्याशी हैं और उन दो में से यदि किसी एक प्रत्याशी की ईश्वर न करें मृत्यु हो जाती है तो उस पद के चुनाव स्थगित हो जायेंगे। ऐसी विशेष परिस्थितियों में वर्तमान राष्ट्रीय चुनाव समिति के अंतर्गत, उनके निर्देशन में 14 दिनों के अन्दर स्थगित हुये पदों के लिये नामांकन-पत्र जारी कर आगे की चुनाव प्रक्रिया शुरु की जायेगी ।

36. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में जैन कॉन्फ्रेंस के सभी ज़ोन/प्रांतों के आजीवन सदस्यों को मतदान में भाग लेने का अधिकार रहेगा। प्रांतीय अध्यक्ष एवं संबंधित प्रांत से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति हेतु सदस्यों का चुनाव उसी प्रांत के आजीवन सदस्य अपने-अपने प्रांत में मतदान करेंगे।

37. संबंधित प्रांतीय चुनाव अधिकारी सभी प्रत्याशियों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी करेंगे। प्रत्याशियों द्वारा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को दिया हुआ फोटो युक्त नियुक्ति-पत्र मतदान शुरु होने से दो घण्टा पहले संबंधित प्रांतीय चुनाव अधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

38. प्रत्येक मतदान स्थल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त (लिखित) अधिकृत दो प्रतिनिधि एवं अन्य पद के प्रत्याशी स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त (लिखित) अधिकृत एक प्रतिनिधि, प्रांतीय चुनाव अधिकारी की अग्रिम आज्ञा से संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह सकते हैं। परन्तु वह किसी भी परिस्थिति में मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

39. प्रत्येक संस्था सदस्य का अध्यक्ष अथवा उनकी कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि जैन कॉन्फ्रेंस के चुनाव में हिस्सा लेकर मतदान कर सकेगा। मनोनीत प्रतिनिधि की सूचना/अधिकार-पत्र चुनाव से 15 दिन पूर्व जैन कॉन्फ्रेंस के रजिस्टर्ड कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। ऐसे मतदाताओं की सूची संबंधित मतदान केन्द्र पर उपलब्ध रहेगी। यदि कोई वर्णित नियमानुसार आजीवन सदस्य किसी भी संस्था का लिखित रूप से मतदाता बनने का अधिकार प्राप्त करता है तो उसे स्वयं का तथा संस्था का मत देने का अधिकार रहेगा।

40. जो सदस्य जैन कॉन्फ्रेंस या उसके द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में किसी भी प्रकार का वेतन या भत्ता प्राप्त करता हो या जैन कॉन्फ्रेंस में किसी भी प्रकार की राशि बकाया होने पर वह सदस्य किसी भी प्रकार के चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकता ।

41. प्रांतीय चुनाव अधिकारी मतदान पूर्ण की सूचना राष्ट्रीय चुनाव समिति को देने के पश्चात् मतगणना करवाकर परिणाम की घोषणा राष्ट्रीय चुनाव समिति की मुजूरी के पश्चात् घेषित करेंगे। राष्ट्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति के पश्चात् प्रांतीय चुनाव

अधिकारी विजेता प्रत्याशियों को नियुक्ति-पत्र जारी करेंगे ।

42. किसी प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव अगर किसी कारण वश चुनाव समय सीमा के अन्दर सम्पन्न नहीं होते हैं तो भी राष्ट्रीय चुनाव समिति उस प्रांत में राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यों का चुनाव, चुनाव कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करवाकर चुनाव के परिणाम घोषित करेंगे एवं उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

43. यदि कोई सदस्य किसी प्रत्याशी के संबंध में कोई लिखित शिकायत/आपत्ति करता है तो प्रांतीय चुनाव समिति उस शिकायत/आपत्ति की सूचना राष्ट्रीय चुनाव समिति एवं संबंधित प्रत्याशी को देंगे। प्रांतीय चुनाव अधिकारी उस शिकायत/आपत्ति के संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट, ई-मेल/इलैक्ट्रानिक मिडिया द्वारा जैन कॉन्फ्रेंस के रजिस्टर्ड कार्यालय में राष्ट्रीय चुनाव समिति को प्रेषित करेंगे। प्रत्याशी भी अपना स्पष्टीकरण ई-मेल/इलैक्ट्रानिक मिडिया द्वारा रजिस्टर्ड कार्यालय में राष्ट्रीय चुनाव समिति के नाम प्रेषित कर उसकी सूचना फोन द्वारा राष्ट्रीय चुनाव समिति सदस्य को देना आवश्यक होगा। कोई भी शिकायत/आपत्ति रजिस्टर्ड कार्यालय में निर्धारित दिन को निर्धारित समय पर पहुंचनी चाहिए। इसके बाद प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा । राष्ट्रीय चुनाव समिति उसका निराकरण करने हेतु निर्धारित दिन को घोषित समय पर सुनवाई करके निर्णय लेगी और निर्णय की विधिवत सूचना संबंधित प्रांतीय चुनाव समिति को ई-मेल/इलैक्ट्रानिक मिडिया द्वारा दे दी जाएगी। सुनवाई के वक्त शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। प्रत्याशी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं । सुनवाई के पश्चात् लिये हुये निर्णय की सूचना संबंधित प्रांतीय चुनाव समिति को दी जायेगी । उस निर्णय की सूचना संबंधित प्रांतीय चुनाव समिति, प्रत्याशी एवं शिकायतकर्ता को उसी दिन देने की कोशिश करेंगे एवं तत्काल संबंधित प्रांतीय चुनाव समिति कार्यालय व जैन कॉन्फ्रेंस के रजिस्टर्ड कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। नोटिस बोर्ड पर लगे अंतिम निर्णय को संबंधित प्रत्याशी/शिकायतकर्ता को जानकारी हो गई है, यह माना जाएगा ।

44. मतदान के समय मतदाता/सदस्य अपनी पहचान सुनिश्चित कराने हेतु अगर मतदाता के पास जैन कॉन्फ्रेंस का परिचय-पत्र हो तो उस परिचय पत्र के साथ असली (Original) सरकारी मान्यता प्राप्त फोटो आई.डी. कार्ड जैसे इलैक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि में से कोई एक परिचय-पत्र संबंधित चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा। फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।

45. चुनाव में मतदाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, उपहार या भेटवस्तु देना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता को लुभाने या मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के धनबल व बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी

भी मतदाता को प्रलोभित किया हुआ पाये जाने की शिकायत/सूचना राष्ट्रीय चुनाव समिति को लिखित में मिलने पर राष्ट्रीय चुनाव समिति उस शिकायत पर विचार विमर्श कर, संबंधित प्रत्याशी को उनकी उचित बात रखने का मौका देने के पश्चात, निर्णय लेकर अपना आदेश जारी करेगी जो अंतिम व सर्वमान्य होगा। मतदाताओं को मतदान के लिए आवागमन की व्यवस्था एवं सादगीपूर्ण भोजन-खानपान की व्यवस्था करना प्रलोभन की परिभाषा में नहीं माना जायेगा।

46. चुनाव के दिन मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में, किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, इशतहारबाजी करना, पैम्फलेट, सर्कुलर द्वारा प्रचार या उपहार या अन्य किसी चीज का वितरण करना, किसी भी प्रकार की घोषणा, नारेबाजी या हल्ला-गुल्ला आदि करना प्रतिबंधित है। मतदान केन्द्र परिसर (कम्पाउंड) में किसी भी प्रकार का प्रत्याशियों का प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित है।

47. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, प्रांतीय अध्यक्ष पद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य पद पर नामांकन के लिये संविधान में लिखित अन्य नियम-उपनियम भी लागू होंगे।